

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक ०७ अक्टूबर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अलीगढ़ व आगरा के 02 सामु0स्वा0केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9308/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक, 20.07.16 व शासनादेश संख्या-244/2016/2365/पांच-6-16(नि0)/16, दिनांक 27.09.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामु0स्वा0केन्द्र, गंगेरी अलीगढ़ व सामु0स्वा0केन्द्र, खन्दौली आगरा के भवन निर्माण हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 27.09.16 द्वारा क्रमशः रू0-545.58 लाख व रू0-520.88 लाख की पुनरीक्षित प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

2- अतएव आपके प्रस्तावानुसार सामु0स्वा0केन्द्र, गंगेरी अलीगढ़ व सामु0स्वा0केन्द्र, खन्दौली आगरा के भवन निर्माण हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 27.09.16 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अन्तर की धनराशि क्रमशः रू0-171.44 लाख (रूपया एक करोड़ इक्कहत्तर लाख चौवालिस हजार मात्र) व रू0-146.74 लाख (रूपया एक करोड़ छियालिस लाख चौहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू अंश के रूप में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 व शासनादेश संख्या-244/2016/2365/पांच-6-16(नि0)/16, दिनांक 27.09.16 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0ए0एल0/बैंक डक खाते में कदापि/नहीं रखी जायेगी।
- (3) शेष शर्तें शासनादेश संख्या-244/2016/2365/पांच-6-16(नि0)/16, दिनांक 27.09.16 की यथावत रहेगी।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 ग्रामीण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

स्वास्थ्य सेवायें-104-सामु0स्वा0केन्द्र-03-सामु0स्व0केन्द्रों का भवन (चालू अंश जिला योजना)-24-  
वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-  
231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव

संख्या- 253 /2016/2405 (1)/पॉच-6-16 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, अलीगढ़/आगरा।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़/आगरा।
- 5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0-  
शासन।
- 7- अधीक्षण/अधिशाली-अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- प्रबन्ध निदेशक/ परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अलीगढ़/आगरा।
- 9- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
- 10- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
- 11- विभागीय वेबमास्टर।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

उप सचिव

Y

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 07 अक्टूबर, 2016

विषय:- प्रदेश के नवनिर्मित 21 ट्रामा सेन्टरों के संचालन हेतु सृजित पदों की निरन्तरता।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-280/2015/2474/पाँच-06-15-75(जी.)/15, दिनांक 11.12.2015 व शासनादेश संख्या-193/2015/1917/पाँच-6-15-75(जी.)/15, दिनांक 11.09.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 11.09.2015 व 11.12.15 द्वारा प्रदेश के 21 ट्रामा सेन्टरों के संचालन के लिये विभिन्न संवर्गों के क्रमशः 700 पदों व 346 पदों का सृजन किया गया है। व्यापक जनहित में भविष्य में उक्त पदों की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त शासनादेश दिनांक 11.09.15 व 11.12.15 द्वारा सृजित उक्त पदों की वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु दिनांक 01.03.16 से 28.02.17 तक की निरन्तरता निर्गत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त शासनादेश संख्या-280/2015/2474/पाँच-06-15-75(जी.)/15, दिनांक 11.12.2015 व शासनादेश संख्या-193/2015/1917/पाँच-6-15-75(जी.)/15, दिनांक 11.09.2015 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (2) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- प्रश्नगत सृजित पदों पर होने वाले व्यय का वहन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32-लेखाशीर्षक 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी 110- अस्पताल तथा औषधालय-04 एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय के नामें डाला जायेगा।  
के नामें डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92 दिनांक 02.12.1998 के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)  
विशेष सचिव

संख्या-254 /2016/ 863 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) संबंधित जिलाधिकारी ।
- (4) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार ।
- (5) अपर निदेशक (विद्युत/नियोजन/बजट)/अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- (6) निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- (7) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- (8) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
- (9) संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी ।
- (10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (वेतन आयोग), अनुभाग-1/2/ वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- (11) कार्यालय आदेश पुस्तिका। /वेब साइट पर/

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

उप सचिव